

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:-1प/स्था०-03-87/2025/733/पं०रा० पटना, दिनांक 15/10/2025

श्री अखिलेश कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पलासी, अररिया द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिनांक-12.07.2025 से 29.07.2025 तक कुल-18(अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण मासिक वेतन पर बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत प्रदान किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दिया जाता है।

2. श्री कुमार के अवकाश लेखा विवरणी के अनुसार दिनांक-11.07.2025 तक कुल 47(सैंतालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश देय है। उपर्युक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति उपरांत 47-18=29(उन्नतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-03-87/2025/12900/पं०रा० पटना, दिनांक 15/10/2025
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-03-87/2025/12900/पं०रा० पटना, दिनांक 15/10/2025
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अररिया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया/श्री अखिलेश कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पलासी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-03-87/2025/12900/पं०रा० पटना, दिनांक 15/10/2025
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव